an>

Title: Need to conduct the survey for Below Poverty Line to get benefit from Sanjay Gandhi Niradhar Yojana.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शून्य प्रहर में आपके सामने रख रहा हूँ। केन्द्र शासन की संजय गाँधी निराधार योजना और परिवार कल्याण योजनाएं आज भी अस्तित्व में हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी परिवार का मुखिया अगर गुजर जाता है तो उस परिवार को जो लाभ मिलना चाहिए, वह आज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस परिवार के लिए दो शर्तें रखी गई हैं। एक तो 18 से 59 साल की उम्र हो और उनका राशन कार्ड बिलो पावर्टी लाइन का होना चाहिए। वर्ष 2005 से लेकर 2006 के आगे तक आज तक बिलो पावर्टी लाइन के तहत जो सर्वेक्षण होना था, वह आज तक नहीं हुआ है। इसलिए इन सारे लोगों को आज लाभ नहीं मिल रहा है।

इस शून्य प्रहर के माध्यम से मैं माँग करता हूँ इन सारे परिवारों के लिए इस माँग के तहत इस बीपीएल की योजना का सर्वेक्षण जल्दी करें। एक ही बार में 20 हजार रुपया दे दें औंर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। यह मेरी माँग शून्य प्रहर के माध्यम से इन गरीब परिवारों के लिए है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Gajanan Kirtikar,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Anandrao Adsul,

Shri Rahul Shewale,

Shri Shrirang Appa Barne,

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Shri Hemant Godse are permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.